

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर भनीण

अनुवान सरोज कुमारी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 128/2025

निर्णय दिनांक 25/06/25

सरोज कुमारी पत्नी सत्यवीर जाति भांभी निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रार्थनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:निर्णय:-

प्रार्थनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर भनीण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 436 खसरा सं. 818/540 तादादी 3.0727 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम पूनसीसर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थनी का नाम सरोज देवी दर्ज है जो कि गलत है सही नाम सरोज कुमारी है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थनी का नाम सरोज कुमारी पत्नी सत्यवीर किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम पूनसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 436 खसरा सं. 818/540 तादादी 3.0727 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थनी का नाम सरोज देवी Delete कर इसके स्थान पर सरोज कुमारी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/06/25 को कैम्प कोर्ट भनीण में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)